न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र केसर सिंह, जाति राजपुत, निवासी किवरली, तहसील देलदर।		श्री रतन सिंह पुत्र भीखसिंह, जाति राजपुत, निवासी किवरली, तहसील देलदर व अन्य — 3

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45 / 2025

दिनांक 4|5|2026

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की मौजा ग्राम किवरली, पटवार हल्का किवरली, तहसील देलदर में खसरा नंबर 1382, 1383 / 2 व कुल रकबा 0.5438 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से आने जाने हेतु प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रार्थी की खसरा नम्बर की कृषि भूमि से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 1383 / 1, अप्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 1350 / 2, अप्रार्थी संख्या 3 के खसरा संख्या 1350 / 1, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खसरा संख्या 2082 / 1351 तथा अप्रार्थी संख्या 4 राजस्थान सरकार की खसरा संख्या 1345 व 1383 स्थित है। उपरोक्त तमाम खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में से होकर प्रार्थी का कदीम से आना जाना है। यह कि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपनी कृषि भूमि में से प्रार्थी के निरन्तर आवागमन में बाधा व अवरूद्ध उत्पन्न कर रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु आवागमन करने देना नही चाहते है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की कृषि भूमियों में से न्युनतम 15 फुट का रास्ता प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

हमने प्रकरण को दर्ज रंजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करें। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में जो अनुतोष चाहा है, यदि श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में अनुतोष जारी किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 पूर्णतया सहमत है। भू.अ.निरीक्षक किवरली की दिनांक 16.02.2026 की मौका रिपोर्ट में अंकन है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1382, 1383 / 2 में आने जाने हेतु 15 फिट रास्ता चाहा गया है , उस भूमि पर वर्तमान कृषि क[illegible] हुआ नही है। रास्ते हेतु चाही गई भूमि में से खातेदारी भूमि में मौके पर कृषि कार्य किया हुआ है [illegible] राजकीय सिवायचक भूमि खसरा 1345 किस्म गै.मु.आ.चा. एवं खसरा संख्या 1383 किस्म [illegible] में से भी प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है। वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि आवागमन हेतु अन्य कोई रेकर्डेड मार्ग [illegible] नही है। किस्म गै.मु.आ.चा. प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। जिसमें से रास्ता दिया जाना उचित नही है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.03.2026 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर कथन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.05.11 17:42:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

कि प्रार्थी की कृषि भूमि 1382 व 1383/2 से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 1383/1 की कृषि भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 4 राजस्थान सरकार की खसरा संख्या 1383 की कृषि भूमि में से न्युनतम 15 फुट का रास्ता प्रार्थी को दिलाये जाने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहीत करावें। स्टेट के जवाब दिनांक 06.04.2026 में अंकन है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मुख्य मार्ग से नही होकर बीच में से खातेदारी भूमि मे है। मुख्य मार्ग से बीच तक खसरा संख्या 1345 तक की सरहद तक रास्ता नही चाहा गया है। खसरा संख्या 1345 के उपरी भाग से खसरा सख्या 1383 से रास्ता चाहा गया है। जिससे मुख्य मार्ग से प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच मार्ग पूर्ण नही होता है।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन व मनन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जिन खसरों में से रास्ता चाहा गया था उनमें मे सें एक खसरा 1345 किस्म गै.मु.आ.चा. है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिसमें से रास्ता दिया जाना उचित नही है एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर चाहा गया रास्ता मुख्य मार्ग से नही होकर बीच में से खातेदारी भूमि में है। एक ऐसा रास्ता जो किसी सार्वजनिक मार्ग पर न खुले, वह प्रार्थी की आवागमन की समस्या का समाधान करने में असमर्थ है। ऐसे अधूरे रास्ते को प्रभावी रूप से लागू नही किया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी परम आवश्यकता व उसके खेत पर जाने का कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होने को सिद्ध करते हुये मुख्य सड़क से निकटतम मार्ग का चयन करते हुये नियमानुसार नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. अंशु प्रिया)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.05.11 17:42:30 IST
Reason: SelfAttested